

(2)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवलम्ब्य सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... श्री अशोक ...
 2. वर्तमान धारित पद ... अध्यापक

3. वर्तमान वेतन : 122-एच.न.ए. अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 01.07.2020

(1) उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		(3) भूमि	(4) वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, वंशक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभिप्रेत
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1) गोपाल राध्या प्रदीप	(2) अमानत 14/1 वॉ अचर सॉ नाथ कान्त कोठारा रोड दुर्ग 462042	(3) 15x50 750 एचएचएच अमानत	(4) 18 लाख	(5) स्वयं	(6) स्वयं खरीद लोग से खरीदा 9/8	(7) नहीं राध्या प्रदीप	(8)	

श्री अशोक
अध्यापक

12/07/2020

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 इसमें आल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित किया गया तारीख से मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे का ब्यौरे न होने का धारित समस्त प्रसन्न सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ...
 नाम ...
 पद ...
 विभाग ...